संख्या-5/2018/ 710/44-1-2018-77/2009

प्रेषक,

डा0 पी0वी0 जगनमोहन
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त सार्वजनिक उपक्रम/ निगम के प्रशासनिक विभागों
के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 10 अक्टूबर, 2018

विषयः- वेतन समिति, 2016 के सातवें प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सार्वजनिक उपक्रमों/ निगमों के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को अनुमन्य मकान किराया भत्तों की दरों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-1105/44-1-2009-77/ 2009, दिनांक 16 अक्टूबर, 2009 एवं शासनादेश संख्या-1/2017/1415/44-1-2016-53/2016, दिनांक 03 जनवरी, 2017 तथा वित्त (सामान्य) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या- 3/2018/जी-1-102/दस-2018-226-2008, दिनांक 18 जुलाई, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, 2016 के सातवें प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या- 1/2017/1415/44-1-2016-53/2016, दिनांक 03 जनवरी, 2017 में दी हुयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों की पूर्ति सुनिश्चित करने के उपरान्त निम्नलिखित तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में अनुमन्य मैट्रिक्स लेवल के आधार पर उनके सम्मुख उल्लिखित दरों पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्र0सं0	**मैट्रिक्स लेवल**	**श्रेणी-अ के नगरों में**	**श्रेणी-ब के नगरों में**	**श्रेणी-स(अवर्गीकृत) के नगरों में**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1	1	2200	1100	730
2	2	2320	1160	770
3	3	2400	1200	800
4	4	2940	1470	980
5	5	3340	1660	1110
6	6	4040	2020	1340
7	7	5520	2760	1840
8	8	5620	2810	1870
9	9/10	6300	3150	2100
10	11	7560	3780	2520
11	12	8960	4480	2980
12	13	13820	6910	4600
13	13-क	14560	7280	4860
14	14	16400	8200	5460
15	15	18400	9200	6000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

16	16	19700	9850	6500
17	17	21000	10500	7000

***श्रेणी-अ, ब एवं स (अवर्गीकृत) में आने वाले नगरों/क्षेत्रों से संबंधित तालिका**

श्रेणी	नगर/क्षेत्र
अ	लखनऊ, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, नोएडा क्षेत्र (गौतमबुद्ध नगर), गाजियाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद, झाँसी तथा मुरादाबाद के शहरी क्षेत्र
ब	श्रेणी-'अ' के अतिरिक्त शेष सभी जिला मुख्यालय तथा नजीबाबाद, नगीना, चाँदपुर, चंदौसी, देवबन्द, रूढ़की, कैराना, बड़ौत, भवाना, पिल्खुआ, मोदी नगर, खुर्जा, सिकन्दराबाद, शिकोहाबाद, सहसवान, शाहाबाद, गंगा घाट (जिला उन्नाव), उरई, बेला, नवाबगंज, टांडा, मुगलसराय, गंगोह, खतौली, कीरतपुर, शेरकोट, हसनपुर, मुरादनगर, लोनी बेहटा, हाजीपुर, दादरी, जहाँगीराबाद उझानी, बहेड़ी, फरीदपुर, बीसलपुर, तिलहर, गोला गोकरणनाथ, छिबरामऊ, कोंच, मऊरानीपुर, राठ, मुबारकपुर, ओबरा, रेनूकूट के शहरी क्षेत्र। लहरपुर, बिसवाँ, मेहमूदाबाद, औंवला, सण्डीला, स्योहारा (बिजनौर), अतरौली, गुलावठी (बुलन्द शहर), सरधना, वृन्दावन, कोशीकलाँ, टूण्डला, अयोध्या, गजरौला, काल्पी तथा ग्रेटर नोएडा।
स (अवर्गीकृत)	उपर्युक्त श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य समस्त नगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र।

2- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में मैट्रिक्स लेवल का तात्पर्य पूर्व वेतन बैण्ड/वेतनमान में अनुमन्य ग्रेड वेतन/वेतनमान के सादृश्य मैट्रिक्स लेवल से है।

3- संशोधित मकान किराया भत्ता ऐसे समस्त पूर्णकालिक कर्मचारियों को अनुमन्य होगा, जो सरकारी आवास में नहीं रह रहे हैं।

4- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के ऐसे कर्मचारियों जिनके द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का विकल्प दिया गया हो अथवा मान लिया गया हो अथवा दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पश्चात् सेवा में नियुक्त हुये हों, के मकान किराया भत्ता के संबंध में पूर्व में निर्गत आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

5- यह आदेश दिनांक 01 जुलाई, 2018 से लागू होंगे।

6- मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्यय भार संबंधित उपक्रम/निगम द्वारा वहन किया जायेगा तथा राज्य सरकार द्वारा इस हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

7- अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् प्रभावी रहेंगे।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे0आ0-2- 610/दस-2018, दिनांक 24 सितम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 पी0वी0 जगनमोहन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-5/2018/ 710 (1)/44-1-2018-77/2009, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ।
2- महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, सूचना एवं विशेष कार्याधिकारी, सूचना, मुख्यमंत्री, उ0प्र0, लखनऊ।
4- वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-1/2 (03 प्रतियों में)
5- गोपन अनुभाग-1
6- सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1/2/आडिट प्रकोष्ठ।
7- सचिव, वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2 को उनके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या - वे0आ0-2-485/दस-2018, दिनांक 27 जुलाई, 2018 के सन्दर्भ में मा0 मंत्रि-परिषद के निर्णय/आदेश के अनुपालन में अपेक्षानुसार की गयी कार्यवाही के संबंध में।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कृष्ण कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in